स्मार्ट सिटीज़ में
सिटी गैस वितरण (सीजीडी)
पाइपलाइन नेटवर्क
पर
आधारित प्रस्तुति

दिनांक 21 नवंबर, 2015

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

विषय सामग्री

- सीजीडी नेटवर्क और उसके उपयोगकर्ता।
- प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ।
- भारत में सीजीडी परियोजनाओं का विकास।
- सीजीडी नेटवर्क और इसकी विस्तार योजना।
- पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन के रुझान।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सीजीडी नेटवर्क पर तेजी के साथ काम करने की पहलें।
- सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल या प्रस्तावित शहर।
- राज्य/नगर पालिका/स्थानीय प्राधिकरणों से प्रमुख सहयोग।

निम्न के लिए सीजीडी नेटवर्क प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

घरेलू पीएनजी

सीएनजी (परिवहन)

औद्योगिक पीएनजी

होटल/वाणिज्यिक पीएनजी

सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से प्राकृतिक गैस (एनजी) उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ

- प्राकृतिक गैस का उपयोग वैकल्पिक ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और अन्य परंपरागत ईंधनों की तुलना में न्यूनतम कार्बन कुकिंग और परिवहन ईंधन के रूप में किया जाता है।
- सीजीडी नेटवर्क पीएनजी के माध्यम से पारिस्थितिकी के अनुकूल खाना पकाने के ईंधन और सीएनजी के रूप में वाहनों के लिए परिवहन ईंधन की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करता है और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जनता के लिए लाभकारी है।
- भूमिगत सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से भीड़भाड़ वाली शहरी सड़कों को एलपीजी सिलेंडर वितरण टेम्पो /मोटर वाहनों से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी।
- पीएनजी का विस्तार शहरी क्षेत्रों से सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों से मुक्ति दिलाएगी ताकि उनका वितरण आगे ग्रामीण/दूर-दराज के इलाकों में किया जा सके और यह घरों में खाने पकाने के ईंधन की सतत आपूर्ति को भी सुनिश्चित करेगा।
- पीएनजी विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं है जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पीएनजी (घरेलू) कनेक्शनों के रुझान

पीएनजी कनेक्शनों की संचयी प्रगति

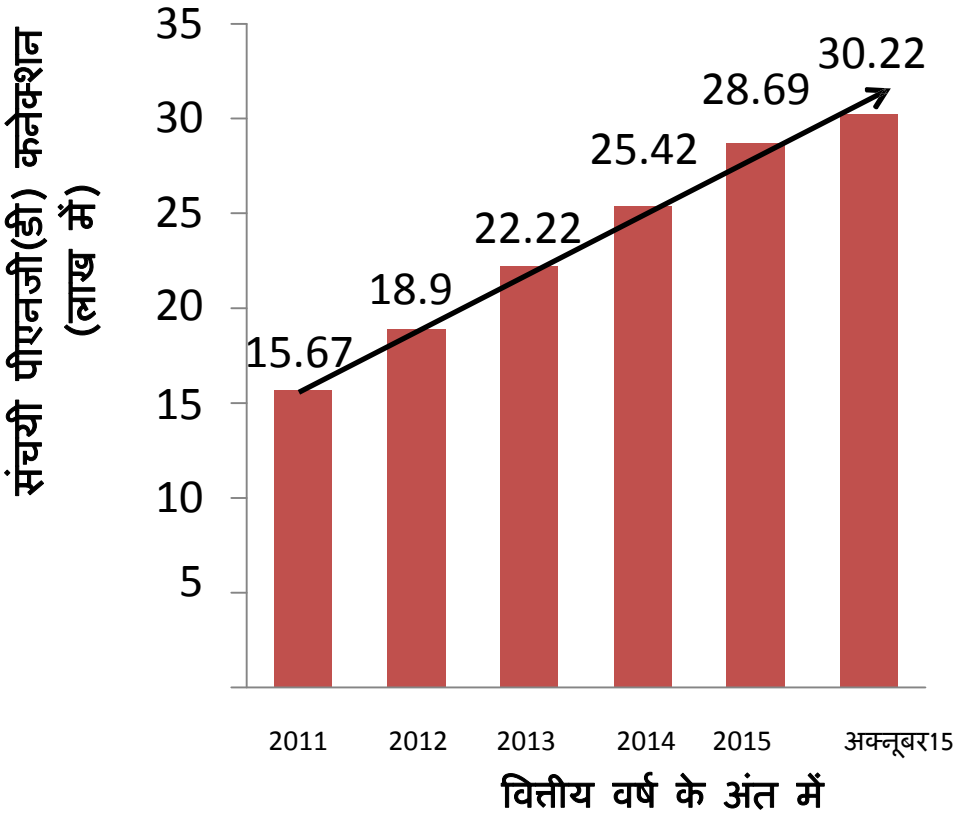

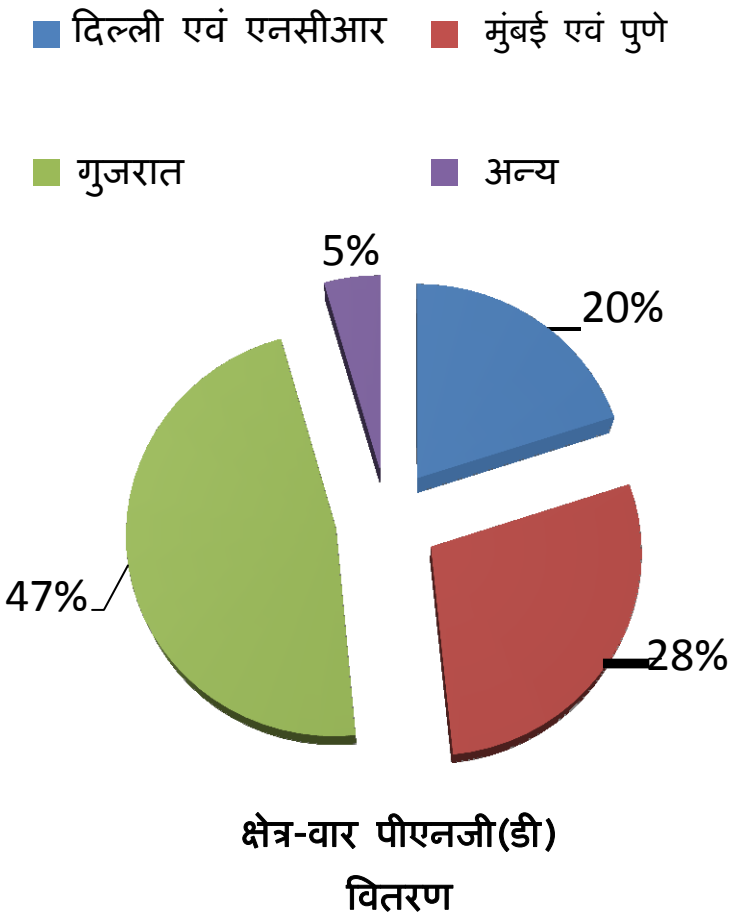

क्षेत्र-वार पीएनजी(डी) वितरण

भारत में सीजीडी परियोजनाओं का विकास

- वर्ष 1857 में, पाइप्ड कोयला गैस वितरण का आरम्भ कोलकाता में ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड (ओजीसीएल) द्वारा उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया गया था।
- 1950 में, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन (वीएमएसएस) ने वडोदरा (गुजरात) शहर में घरेलू पीएनजी नेटवर्क का विकास किया गया
- 1980 में, ब्रिटिश गैस (बीजी) द्वारा द्वारा सूरत और भरुच (गुजरात) के शहरों में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने हेतु गुजरात गैस कंपनी की स्थापना की गई।
- वर्ष 1990 में, त्रिपुरा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (टीएनजीसीएल) ने अगरतला (त्रिपुरा) में पीएनजी नेटवर्क का कार्य शुरू किया।
- वर्ष 1990 के मध्यम दशक में, गेल ने अन्य दो कंपनियों अर्थात् आईजीएल एवं एमजीएल के साथ संयुक्त उद्यम का गठन क्रमानुसार दिल्ली और मुम्बई में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए किया।
- बाद में, सीजीडी नेटवर्क का अनुमोदन अन्य नगरों अर्थात कानपुर, पुणे, लखनऊ, आगरा, बरेली, हैदराबाद, इंदौर और ग्वालियर में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने हेतु किया गया था।
- वर्ष 2005 में, जीएसपीसी गैस कंपनी लिमिटेड की स्थापना गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई जिसने हजीरा और गुजरात के अन्य भागों में सीजीडी नेटवर्क का विकास कार्य करने का कार्य भी शुरू किया।

सीजीडी नेटवर्क और इसका विस्तार कार्य

- वर्तमान में, 25 सीजीडी संस्थान देश के 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 67 शहरों/भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क का या तो परिचालन कर रहे हैं या विकास कार्य में लगे हुए हैं -

  - देश में वर्तमान सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर -

- पीएनजी (घरेलू) पारिवारिक कनेक्शन	:	30.22 लाख
- पीएनजी (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक) कनेक्शन	:	~ 28,800
- सीएनजी स्टेशन	:	~ 1015
- सीएनजी वाहनों की संख्या	:	~ 25.5 लाख
- पीएनजी और सीएनजी में घरेलू गैस की खपत	:	~ 9.16 एमएमएससीएमडी*
- उद्योगों में आयातित आरएलएनजी की खपत	:	~ 7.14 एमएमएससीएमडी*

(* वित्त वर्ष 2014-15 में)

  - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006, के तहत पीएनजीआरबी ने 6ठे सीजीडी बिडिंग राउंड के अंतर्गत 34 नए जीए के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस राउंड को दिसम्बर -2015/जनवरी 2016 तक पूरा होने की अपेक्षा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सीजीडी नेटवर्क को गति प्रदान करने हेतु उठाए गए कदम

- सीजीडी नेटवर्क के पीएनजी(डी) और सीएनजी(टी) खंडों के घरेलू गैस आबंटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और उसे निर्बाध श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
- वर्तमान में, घरेलू गैस की आपूर्ति एकल कीमत (परिवहन टैरिफ एवं कर के अतिरिक्त) पर सीजीडी नेटवर्कों की पीएनजी(डी) और सीएनजी(टी) खंडों की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जा रही है।
- समीपवर्ती ट्रंक गैस पाइपलाइन की उपलब्धता के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नए सीजीडी नेटवर्क का अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी आई है ताकि सीजीडी नेटवर्क को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- सीजीडी संस्थाएं ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से ग्राहक परामर्श वेब-पोर्टल तैयार कर रही हैं जैसे पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति का पता लगाना, शिकायत दर्ज करना और निवारण, ई-बिलिंग और ई-भुगतान इत्यादि।

सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल एवं प्रस्तावित स्मार्ट सिटी

चरण 1 में स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत स्वीकृत शहरों की संख्या	वर्तमान शहरों की संख्या जो सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल/अनुमोदित हैं	सीजीडी बिडिंग के 6ठे राउंड के अंतर्गत प्रस्तावित
98	35	3

- परिकल्पित राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विकास के साथ सिंक्रोनाइजेशन में सीजीडी नेटवर्क शेष संभावित स्मार्ट सिटी में सीजीडी के विकास करने हेतु विचार किया जाएगा

सीजीडी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल एवं प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज (चरण-1) की अनुमोदित सूची

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीजीडी के साथ वर्तमान और प्रस्तावित शहर	
		वर्तमान/स्वीकृत	6 राउंड में प्रस्तावित
1	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	-
2	चंडीगढ़	चंडीगढ़	-
3	दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा (दादरा एवं नगर हवेली)	-
4	दिल्ली	एनडीएमसी (दिल्ली)	
5	गोवा		पणजी (उत्तरी गोवा)
6	गुजरात	गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट	दाहोद
7	हरियाणा	फरीदाबाद	
8	कर्नाटक	बेलगाम, धारवाड़, तुमकुर	
9	केरल	कोच्चि (एर्नाकुलम)	
10	मध्य प्रदेश	उज्जैन, ग्वालियर सहित इंदौर	
11	महाराष्ट्र	नवी मुंबई, थाणे, ग्रेटर मुंबई, कल्याण-डोम्बीवली, पुणे	
12	पंजाब	लुधियाना, जालंधर, अमृतसर	
13	राजस्थान	कोटा	
14	तेलंगाना	ग्रेटर हैदराबाद (हैदराबाद)	
15	त्रिपुरा	अगरतला	
16	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा	सहारनपुर

राज्य/नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरणों का आवश्यक सहयोग

- स्वीकृति प्रभार लगाने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण आवश्यक है:
  - वर्तमान में, राज्य/नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरणों ने सीजीडी नेटवर्क पर अत्यधिक उच्च स्वीकृति प्रभार लगा रही है जिसकी कीमत सीजीडी संस्थाओं लगभग 15000 रुपये से 20000 प्रति पीएनजी कनेक्शन है।
  - हालांकि, सीजीडी संस्थाएं केवल 5000 / रुपये प्रति पीएनजी कनेक्शन ही वसूल कर रही हैं जो घरेलू आवासों के लिए हस्तांतरणीय जमा धरोहर राशि है।
- सीजीडी नेटवर्क बिछाने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी आवश्यक है।
- समीपवर्ती राज्यों में विभिन्न करों (जैसे प्राकृतिक गैस पर वैट) को युक्तिसंगत बनाना जिसके कारण समीपवर्ती राज्यों की पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में अन्तर होता है।

प्रश्न?

आपका धन्यवाद